



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13092023-248672
CG-DL-W-13092023-248672

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, अगस्त 27—सितम्बर 2, 2023, शनिवार/ भाद्र 5—भाद्र 11, 1945
No. 33] NEW DELHI, AUGUST 27—SEPTEMBER 2, 2023, SATURDAY/BHADRA 5—BHADRA 11, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (पुस्तकालय लिपिक) भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में पुस्तकालय लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बना हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (पुस्तकालय लिपिक) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय लिपिक	*08 (आठ) (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/- रुपए)	लागू नहीं होता।	25 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समयसमय पर जारी - किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों	आवश्यक अर्हताएँ: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में

				<p>से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा पांगी उपखंड और अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।</p> <p>टिप्पण 3: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।</p>	<p>कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिन्होंने स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; (2) ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना अधिकारी या पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय -सदस्य; (3) उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (4) उप निदेशक (प्रशासन) (अनुसूचित जाति या/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कार्यवाहक)स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. Z28035/01/2022-Estt.III]

राजीव जायसवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)**

New Delhi, the 24th August, 2023

G.S.R. 109.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Health Services (Library Clerk), Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Library Clerk in the Directorate General of Health Services, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services (Library Clerk) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of a said Schedule annexed to the rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—the method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Posts	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Library Clerk	*08 (eight) (2023) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 2 (Rs. 19900-63200/-) in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding twenty five years Note 1: Relaxable for Government servants in accordance with the instruction or other issues by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu - Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, Union territories, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep. Note 3: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential qualifications: (i) 12 th pass or equivalent from a recognised Board. (ii) Certificate or Diploma Course in Library Science from a recognised Institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the competent authority, as the case may be, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two Years Note: These shall be a mandatory induction training of at least Two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	Direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officer of the Central Government: a. holding analogous posts on regular basis; and b. possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director (Administration), Directorate General of Health Services –Chairman; (2) Senior Library & Information Officer or Library & Information Officer, National Medical Library –Member; (3) Deputy Director(Administration), Directorate General of Health Services – Member; (4) Deputy Director (Administration) (to act as a representative of Scheduled Caste or/Scheduled Tribe), Directorate General of Health Services – Member.	Not applicable

[F.No. Z28035/01/2022-Estt.III]

RAJEEW JAISWAL, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प)]

(राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 110.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 को, जहाँ तक उनका संबंध तकनीशियन से हैं और वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 को, जहाँ तक उनका संबंध अक्षर लेखन कलाकार और ब्रोमाइड प्रिंटर से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हथकरघा) में तकनीशियन, अक्षर लेखन कलाकार और ब्लॉक-कम-स्क्रीन प्रिंटर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प), राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, तकनीशियन, अक्षर लेखन कलाकार और ब्लॉक-कम-स्क्रीन प्रिंटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. तकनीशियन	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिचीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	अचयन	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए	(अ) आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण;

				<p>गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती हैं।)</p> <p>टिप्पण:आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों लिए विहित की गई है।)</p>	<p>(ii) विज्ञान प्रयोगशाला या तकनीकी संस्थान या विश्वविद्यालय या संग्रहालय की प्रयोगशाला में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(ब) वांछनीय:</p> <p>पुस्तक जिल्दसाजी और पेंटिंग के आरोपण तथा शिल्प वस्तुओं को सुरक्षित रखने की तकनीकी का ज्ञान।</p> <p>टिप्पण 1: अहर्ताए, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति द्वारा: ऐसे विभागीय प्रयोगशाला परिचारक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रु 18000-56900) में स्तर -1 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात संबंधित श्रेणी में ग्यारह वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्र सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा, परंतु यह कि उनके द्वारा की गई अर्हक अथवा पात्र सेवा अपेक्षित अर्हक अथवा पात्र सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्र सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा—</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों अथवा स्वायत्त संगठनों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:—</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो;</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में नियमित आधार पर ग्यारह वर्ष की सेवा की हो और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षणिक</p>

			<p>अर्हताएं रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।</p>
--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) - अध्यक्ष निदेशक (हस्तशिल्प) - सदस्य मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य। <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) - अध्यक्ष निदेशक (हस्तशिल्प) - सदस्य मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य। 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अक्षर लेखन कलाकार	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)।	लागू नहीं।	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती हैं।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(अ) आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) किसी मान्यता-प्राप्त संस्थान से वाणि-ज्यिक या ललित कला में एक वर्षीय प्रमाणपत्र या डिप्लोमा पाठ्यक्रम; और (iii) किसी मान्यता-प्राप्त संग्रहालय या आर्ट गैलरी या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी संस्थान में पेंटर या पॉलिशर के रूप में काम करने का तीन वर्ष का अनुभव। (ब) वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त संग्रहालय या आर्ट गैलरी या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी संस्थान में ग्राफिक या अक्षर लेखन कार्यों में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहर्ताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा— केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों अथवा स्वायत्त संगठनों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो; (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में नियमित आधार पर ग्यारह वर्ष की सेवा की हो और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाइय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) – अध्यक्ष 2. निदेशक (हस्तशिल्प) – सदस्य 3. मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. ब्लॉक-कम-स्क्रीन प्रिंटर	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	लागू नहीं होता।	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार)	आवश्यक: (i) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से 10वीं

	<p>किया जा सकता है।</p>	<p>अननुसचिवीय।</p>		<p>द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती हैं।)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों लिए विहित की गई है।)</p>	<p>कक्षा पास; या टेक्सटाइल प्रिंटिंग या स्क्रीन प्रिंटिंग या फैब्रिक प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग ट्रेड के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डिप्लोमा धारक; और</p> <p>(ii) अभ्यर्थी के पास डाइंग या प्रोसेसिंग हाउस या प्रिंटिंग यूनिट या संग्रहालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में विभिन्न टेक्सटाइल फैब्रिक्स के ब्लॉक और स्क्रीन प्रिंटिंग का पांच साल का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण 1: अहर्ताए, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	-------------------------	--------------------	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण:केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परि-वीक्षा को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।</p>	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा—</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों अथवा स्वायत्त संगठनों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:—</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो;</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में नियमित आधार पर ग्यारह वर्ष की सेवा की हो और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) — अध्यक्ष निदेशक (हस्तशिल्प) — सदस्य मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य। 	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 02/26/2022—एनसीएम और एचकेए (कंप्यूटर सं. 46752)]

सोहन कुमार झा, वरिष्ठ निदेशक

MINISTRY OF TEXTILES**(Office of the Development Commissioner (Handicrafts))****(NATIONAL HANDICRAFTS AND HANDLOOMS MUSEUM)**

New Delhi, the 24th August, 2023

G.S.R. 110.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handlooms), National Handicrafts and Handlooms Museum, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of Technician, and the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2016, in so far as they relate to the posts of Lettering Artist and Bromide Printer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Technician, Lettering Artist and Block-cum-Screen Printer in the Office of the Development Commissioner (Handlooms), National Handicrafts and Handlooms Museum, Ministry of Textiles, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Technician, Lettering Artist and Block-cum-Screen Printer (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Technician.	01 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted,	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental	(a) Essential: (i) 10 th class pass with science subjects from a

		Non-Ministerial.			<p>candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>	<p>recognised Board;</p> <p>(ii) three years' experience in laboratory of a science laboratory or technical institution or University or a museum.</p> <p>(b) Desirable:</p> <p>Knowledge of book binding and mounting of painting and techniques for conservation of craft objects.</p> <p>Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient</p>
--	--	------------------	--	--	---	---

						number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)/absorption failing both by direct recruitment.	Promotion: Departmental Laboratory Attendant in level-1 in pay matrix (Rs.18000-56900) with eleven years of regular service in the grade rendered after appointment. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.. Deputation (including short-term contract)/absorption: Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institutes,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent in the parent cadre or Department; (iii) with eleven years regular service in post in level-1 in pay matrix (Rs. 18000-56900); and; (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

			<p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: Only officers of the Central Government or State Government or Union territories shall be eligible to be considered for appointment in absorption basis.</p>
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senior Director (Museum)- Chairman; 2. Director(Handicrafts) – Member; 3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum – Member. <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senior Director (Museum)- Chairman; 2. Director(Handicrafts) – Member; 3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum – Member. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Lettering Artist.	*01 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in pay matrix (Rs.25500 – 81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(a) Essential: (i) 12 th class pass from a recognised Board; (ii) one year certificate or diploma course in Commercial or Fine Arts from a recognised institution; and (ii) three years' experience of working as a Painter or Polisher in a recognised museum or art gallery or Archaeological Survey of India or an institution.

					<p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>	<p>(b) Desirable:</p> <p>One years' experience in graphic or lettering works in a recognised museum or Art Gallery or Archaeological Survey of India or an institution.</p> <p>Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	<p>Two years for direct recruitment.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.</p>	<p>By deputation (including short-term contract)/absorption failing both by direct recruitment.</p>	<p>Deputation (including short-term contract)/absorption:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institutes,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent in the parent cadre or Department;</p> <p>(iii) with eleven years' regular service in post in the level-1 in pay matrix (Rs. 18000-56900); and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held</p>

			<p>immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: Only officers of the Central Government or State Government or Union territories shall be eligible to be considered for appointment in absorption basis.</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senior Director (Museum)- Chairman; 2. Director (Handicrafts) – Member; 3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum – Member. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Block-cum-Screen Printer	*01 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Not applicable	<p>Between 18 and 27 years of age.</p> <p>(Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) 10th class pass from a recognised Board; or Industrial Training Institutes Diploma holder with Textile Printing or Screen Printing or Fabric Printing or Block Printing trade; and</p> <p>(ii) the candidate shall have five years' experience in block and screen printing of various textile fabrics in a dyeing or processing house or printing unit or museum or in a recognised institution.</p> <p>Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding</p>

					of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short-term contract)/ absorption or failing both by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institutes,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent in the parent cadre or Department; (iii) with eleven years regular service in post in the level-1 in pay matrix (Rs. 18000-56900); and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: Only officers of the Central Government or State Government or Union territories shall be eligible to be considered for appointment in absorption basis.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Senior Director (Museum)- Chairman; 2. Director(Handicrafts) – Member; 3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum – Member.	Not applicable.

[F. No. 02/26/2022-NCM&HKA(Comp. No.46752)]

SOHAN KUMAR JHA, Senior Director

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 111.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, समूह 'ग' भर्ती नियम, 1997, जहां यह अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग के अधीन राष्ट्रीय सेवा स्कीम में कनिष्ठ सचिवालय सहायक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सेवा स्कीम, युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, (कनिष्ठ सचिवालय सहायक (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों की उपाबद्ध अनुसूची से स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद के संबंध में अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की किसी बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ सचिवालय सहायक	34 * (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मसेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) टिप्पण: आयु सीमा को अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा-निर्धारित तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत होने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: क्या भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा की जाएगी। भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12 वीं पास अथवा समतुल्य I (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन पांच कुंजी दबाव (की- डिप्रेसन) के औसत से 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच समरूप हैं)	लागू नहीं	दो वर्ष	(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे। (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियों को समूह-ग के कर्मचारिवृद्ध से जो वेतन स्तर-1 (रु. 18000-56900/-) में कार्यरत है और इसे विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा जिन अभ्यर्थियों ने 12 वीं	स्तंभ संख्या 10 (ii) और (iii) में कथित के अनुसार।

		<p>पास की हो अथवा समकक्ष योग्यता रखते हों और इस ग्रेड अर्ह श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों।</p> <p>टिप्पण 1 : इस परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा पैतालीस वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पचास वर्ष) है।</p> <p>टिप्पण 2 : यदि खंड (ii) के अंतर्गत परीक्षा को पास करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक हो, तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों के नाम पर अगले वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि परीक्षा को पहले पास करने वाले कर्मचारियों के नाम पर परीक्षा को बाद में पास करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।</p> <p>(iii) 5 प्रतिशत रिक्तियों को (रु. 18000-56900/-) के वेतन मैट्रिक्स वाले लेवल-1 के ग्रेड वेतन वाले पदों में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके समूह-ग कर्मचारियों में से वरीयता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरा जाएगा।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो और जिन्होंने</p>	
--	--	---	--

			अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>I. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. निदेशक या उप सचिव -अध्यक्ष;</p> <p>2. अवर सचिव - सदस्य;</p> <p>3. अवर सचिव - सदस्य;</p> <p>(राष्ट्रीय सेवा स्कीम अनुभाग प्रभारी)</p> <p>II. समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. निदेशक या उप सचिव -अध्यक्ष;</p> <p>2. अवर सचिव - सदस्य;</p> <p>3. अवर सचिव - सदस्य;</p> <p>(राष्ट्रीय सेवा स्कीम अनुभाग प्रभारी)</p>	लागू नहीं

[फा. सं. ए-42011/2/2021-प्रशा.]

पंकज धमीजा, अवर सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS**(Department of Youth Affairs)**

New Delhi, the 28th August, 2023

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Service Scheme, Department of Youth Affairs and Sports, Ministry of Human Resource Development Group 'C' posts Recruitment Rules, 1997, in so far as they relate to the post of Lower Division Clerks, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Secretariat Assistant in the National Service Scheme, under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Department of Youth Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Service Scheme, Ministry of Youth Affairs and Sports, Department of Youth Affairs, (Junior Secretariat Assistant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix. – The number of posts, its classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc..—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Secretariat Assistant	34* (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 (Rs.19900-63200)	Non-selection	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date of determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation or absorption, to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) 12th class or equivalent qualification from a recognised Board or university; (ii) a typing speed 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5	Not applicable.	Two years.	(i) 85 per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10 per cent. of the vacancies shall be filled from amongst Group-C staff in the pay level-1 (Rs.18000-56900) and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination.	As stated in column 10 (ii) and (iii).

key depressions for each word)		<p>Note 1: The maximum age-limit for eligibility for examination is forty-five years (fifty years for the Schedule Caste/ the Schedule Tribe).</p> <p>Note 2: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p>(iii) 5 per cent of the vacancies shall be filled on seniority- cum- fitness basis from Group-C employees who have three years regular service in posts with the level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years. Whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service.</p>	
--------------------------------	--	---	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>I. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Director or Deputy Secretary -Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary -Member;</p> <p>(3) Under Secretary</p>	Not applicable.

<p>(In-Charge of National Service Scheme Section) - Member.</p> <p>II. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Director or Deputy Secretary -Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary -Member;</p> <p>(3) Under Secretary</p> <p style="text-align: center;">(In-Charge of National Service Scheme Section)</p> <p style="text-align: center;">- Member.</p>	
--	--

[F. No. A-42011/2/2021-Admn.]

PANKAJ DHAMIJA, Under Secy.

संचार मंत्रालय**(दूरसंचार विभाग)**

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेडियो विनियामक (समूह 'क') सेवा नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेडियो विनियामक (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेडियो विनियामक (समूह 'क') सेवा नियम, 2015 में, -

(1) अनुसूची-I में क्र.सं. 3 के सामने उल्लिखित "वेतन-मेट्रिक्स में स्तर" से संबंधित स्तंभ के अधीन दी गई प्रविष्टि के स्थान पर "स्तर-13 (1,23,100-2,15,900 रु.)" प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(2) अनुसूची- III में,-

(क) क्र.सं.2 में स्तंभ 5 के अधीन दोनों स्थानों के सामने दी गई प्रविष्टि "स्तर-13 (1,18,500-2,14,100 रु.)" के स्थान पर "स्तर-13 (1,23,100-2,15,900 रु.)" प्रविष्टि को रखा जाएगा;

(ख) क्र.सं. 3 में स्तंभ 2 के अधीन दी गई प्रविष्टि "स्तर-13 (1,18,500-2,14,100 रु.)" के स्थान पर "स्तर-13 (1,23,100-2,15,900 रु.)" प्रविष्टि को रखा जाएगा;

(3) अनुसूची-V के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अनुसूची-V**[नियम 7 (6) (घ) (ii) देखें]**

सेवा में गैर-कार्यात्मक उन्नयन के मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति की संरचना:

क्र.सं.	ग्रेड का नाम	गैर-कार्यात्मक उन्नयन के मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति
(1)	(2)	(3)
1.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड स्तर-15 (1,82,200-2,24,100/- रु.)	1. सचिव, दूरसंचार विभाग - अध्यक्ष 2. सलाहकार (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार विभाग - सदस्य 3. सलाहकार (प्रचालन), दूरसंचार विभाग - सदस्य

2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर-14 (144,200-2,18,200/-रु.)	1. सचिव, दूरसंचार विभाग	- अध्यक्ष
	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चयन ग्रेड) स्तर-13 (1,23,100-2,15,900/-रु.)	2. सलाहकार (प्रौद्योगिकी) या अपर सचिव, दूरसंचार विभाग	- सदस्य
	गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड स्तर-12 (78,800-2,09,200/-रु.)	3. बेतार सलाहकार	- सदस्य,"
	ज्येष्ठ समय-मान स्तर-11 (67,700-2,08,700/-रु.)		

[फा. सं. ए-12018।01/2022-प्रशा.II]

सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव (प्रशा.)

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 238 (अ) तारीख 31 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 200 (अ) तारीख 09 फरवरी, 2016 तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 70 तारीख 17 फरवरी, 2017 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 29th July, 2023

G.S.R. 112.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Radio Regulatory (Group 'A') Service Rules, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Indian Radio Regulatory (Group 'A') Service (Amendment) Rules , 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Radio Regulatory (Group 'A') Service Rules, 2015,-

(1) in SCHEDULE-I, for the entry under column relating to "Level in the Pay Matrix" occurring against S.No.3, the entry "Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900)" shall be substituted;

(2) in SCHEDULE-III,-

(a) in Sl. No.2, for the entry "Level-13 (1,18,500-2,14,100)" occurring at both the places under column 5, the entry "Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900)" shall be substituted;

(b) in Sl. No.3, for the entry "Level-13 (Rs. 1,18,500-2,14,100)" occurring under column 2, the entry "Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900)" shall be substituted;

(3) For SCHEDULE -V, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE-V

[See rule 7(6)(d)(ii)]

Composition of Screening Committee for considering cases of Non-Functional Up-gradation in the Service:

Sl. No.	Name of the Grade	Screening Committee for considering cases of Non-Functional Up-gradation
(1)	(2)	(3)
1.	Higher Administrative Grade. Level – 15 (Rs. 1,82,200- 2,24,100/-)	1. Secretary, Department of Telecom – Chairman. 2. Advisor (Technology), Department of Telecom – Member. 3. Advisor (Operation), Department of Telecom —Member.
2.	Senior Administrative Grade. Level -14 (Rs. 1,44,200- 2,18,200/-) Junior Administrative Grade (Selection Grade). Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900/-) Non-Functional Selection Grade. Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200/-) Senior Time Scale. Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700/-)	1. Secretary, Department of Telecom – Chairman. 2. Advisor (Technology) or Additional Secretary, Department of Telecom – Member. 3. Wireless Adviser – Member.”

[F. No. A-12018/01/2022-Admn.II]

SUNIL KUMAR VERMA, Jt. Secy. (A)

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (i), vide notification number G.S.R. 238(E), dated 31st March, 2015 and subsequently amended vide notification number G.S.R 200(E), dated 9th February, 2016 and number G.S.R 70, dated 17th February 2017.